

18/11/2020 प्राची एक प्राची के अखिलता उपस्थित होकर
 प्राचीन पत्र विद्वा करने वाकत पेश कर निवेदन
 किया कि अब सभी पत्रकारण के मध्य समाजिक
 समकाल होने के कारण प्राचीन पत्र धारा 212 को
 अंजो नही चलाना चाहता है। प्राचीन पत्र विद्वा
 करने का अवलोकन किया गया। काद अवलोकन
 प्राचीन पत्र विद्वा करने का स्वीकार योग्य होने से
 स्वीकार किया जाता है। तथा प्राचीन पत्र धारा
 212 विद्वा करने के आदेश पारित किए जाते हैं।
 मिसल समय शुभार होकर नम्बर से कम
 होना बाद पफतर दालिल है।

श्यामलाल
 शर्मा
 लोक
 4d.



(मोहनलाल खटनावलिया)
 उपसभ्य अधिकारी
 मन्सूर (अजमेर) राज.